न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 1/100 — तारीख दायर 14.09.2020 — अन्तिम निर्णय दिनांक 20.01.2026

बउनवान

01. रामकिशन पुत्र श्री छीतर (मृतक)
1/1. गंगादेवी पत्नी स्व० रामकिशन
1/2. विश्राम कुमार यादव पुत्र स्व0 रामकिशन निवासीयान ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा
1/3. संतोष देवी पुत्री स्व० रामकिशन पत्नी रामजीलाल यादव निवासी मौहल्ला बडियाल खुर्द जिला दौसा
1/4. रामलला यादव पुत्री स्व0 रामकिशन पत्नी रामबाबू निवासी बडेर तहसील मालाखेडा
1/5. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व० रामकिशन पत्नी भागचन्द यादव निवासी कालीपहाडी भडकोल तह० मालाखेडा जिला अलवर

वादीगण

01. रामकिशोर पुत्र लक्ष्मण
02. रामसिंह पुत्र लक्ष्मण
03. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मण
04. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मण
05. रामेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जातियान अहीर, निवासीयान ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण

06. रामहेत पुत्र श्री हरसहाय जाति अहीर, निवासी ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा जिला अलवर

तरतीबी प्रतिवादी

07. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी खाता संख्या नया 107 वाके ग्राम अहीर का तिबारा तह० मालाखेडा में वर्णित हाल खसरा नम्बर 156 रकबा 03 ऐयर, 157 रकबा 20 ऐयर, 158 रकबा 23 ऐयर, 159 रकबा 25 ऐयर, 161/1 रकबा 09 ऐयर, 162 रकबा 09 ऐयर, 163 रकबा 02 ऐयर, 171 रकब्बा 30 ऐयर, कुल खसरा 8 रकबा 1.2100 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 236 में वर्णित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 86 ऐयर, 181 रकबा 35

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

ऐयर, 182 रकबा 24 ऐयर, 183 रकबा 76 ऐयर, 184 रकबा 19 ऐयर, 185 रकबा 38 ऐयर, 186 रकबा 61 ऐयर, 187 रकबा 25 ऐयर, 188 रकबा 23 ऐयर, 189 रकबा 22 ऐयर, 190 रकबा 15 ऐयर, 191 रकबा 16 ऐयर, कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.4300 हैक्टेयर वाके ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा वादी, तरतीबी प्रतिवादी, व असल प्रतिवादीगण की कब्जे कास्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा व असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/10 हिस्सा है। आराजी मुतनाजा पक्षकारों की अबट आराजी है, जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 03 ऐयर में गै०मु० चाह दर्ज है, जो भी शामलाती है, जिस कुऐं में वादीगण व प्रतिवादीगण ने शामलात में निर्माण कराया था व पानी सूखने पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने शामलात मे बड़ा बोर करवा लिया था। जिसमे 12 होर्स पावर की मोटर लगा रखी है। जिसका बिल वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम जारी होता आ रहा है और बिलों का भुगतान भी शामलात मे करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार ओसरेवार पानी लेते आ रहे है और आराजी मुतनाजा को सिंचित कर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण असल आराजी मुतनाजा में वादी को पैदावार काश्त करने मे रुकावट व मजाहमत पैदा करते है और शामलाती बोरिंग से ओसरेवार पानी लेने में भी रूकावट व मजाहमत पैदा करते है आराजी मुतनाजा पर पक्षकारों का शामलात में कब्जा काश्त है। असल प्रतिवादीगण के साथ वादी का विवादित आराजी पर शामलात में काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करना सम्भव नहीं है क्योकि प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के व्यक्ति है, जो वादी को शांति पूर्वक कार्य काश्तकारी नहीं करने देते है। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त अबट आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि बना दी तो वादीगण को भारी नुकसान होगा जिस नुकसान की क्षति पूर्ति दीगर तरीके से नहीं हो सकेंगी। अतः वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर वाद वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का अनुतोष चाहा कि डिक्री तकसीम खाता संख्या नया 107 वाके ग्राम अहीर का तिबारा तह० मालाखेडा में वर्णित हाल खसरा नम्बर 156 रकबा 03 ऐयर, 157 रकबा 20 ऐयर, 158 रकबा 23 ऐयर, 159 रकबा 25 ऐयर 161/1 रकबा 09 ऐयर, 162 रकबा 09 ऐयर, 163 रकबा 02 ऐयर, 171 रकबा 30 ऐयर, कुल खसरा 8 रकबा 1.2100 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 236 में वर्णित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 86 ऐयर, 181 रकबा 35 ऐयर, 182 रकबा 24 ऐयर, 183 रकबा 76 ऐयर, 184 रकबा 19 ऐयर, 185 रकबा 38 ऐयर, 186 रकबा 61 ऐयर, 187 रकबा 25 ऐयर, 188 रकबा 23 ऐयर, 189 रकबा 22 ऐयर, 190 रकबा 15 ऐयर, 191 रकबा 16 ऐयर, कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.4300 हैक्टेयर वाके ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर वादी व तरतीबी प्रतियादीगण के 1/4, 1/4 हिस्से का अलग खाता व लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि बिना तकसीम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

कराये दीगर शख्स के हक में रहन बय ना करे व किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपरान्त हाजिर अदालत नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वाद प्रारम्भिक डिक्री करने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन पश्चात पत्रावली मे प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.03.2025 को जारी की गयी कि तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल तहसीलदार मालाखेडा को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 खाता संख्या नया 107 वाके ग्राम अहीर का तिबारा तह० मालाखेड़ा में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 156 रकबा 03 ऐयर 157 रकबा 20 ऐयर, 158 रकबा 23 ऐयर, 159 रकबा 25 ऐयर 161/1 रकबा 09 ऐयर, 162 रकबा 09 ऐयर, 163 रकबा 02 ऐयर, 171 रकबा 30 ऐयर, कुल खसरा 8 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या नया 236 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 86 ऐयर, 181 रकबा 35 ऐयर, 182 रकबा 24 ऐयर, 183 रकबा 76 ऐयर, 184 रकबा 19 ऐयर, 185 रकबा 38 ऐयर, 186 रकबा 61 ऐयर, 187 रकबा 28 ऐयर, 188 रकबा 23 ऐयर, 189 रकबा 22 ऐयर, 190 रकबा 15 ऐयर, 191 रकबा 16 ऐयर, कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.4300 हैक्टेयर वाके ग्राम भडकोल तह० मालाखेडा का मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी के आधार पर रिकार्ड व मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बैरंग सुर्खी मे दर्शाते हुए प्रस्तुत करें।

उक्त वादपत्र के संबंध मे तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक–भू.अ./2025/1671 दिनांक 05.12.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किये, जो निम्न प्रकार है:–

01. रामकिशन पुत्र छीतर जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार, राहिन हिस्सा एस.बी. आई. शाखा बालेटा, ग्राम अहीर का तिबारा, आराजी खसरा नम्बर 157/2 रकबा 0.08 है0, 158/2 रकबा 0.10 है0 किता 2 रकबा 0.18 हैक्टेयर व ग्राम भडकोल आराजी खसरा संख्या 180/3 रकबा 0.34 है0, 186/2 रकबा 0.31 है0, रकबा 188/2 रकबा 0.11 है0, 189/2 रकबा 0.06 है0, 190/2 रकबा 0.08 है0, 191/2 रकबा 0.08 है0, 183/2 रकबा 0.25 है0, किता 7 रकबा 1.23 हैक्टेयर के खातेदार रहेगें।

02. रामहेत पुत्र हरसहाय जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहीन हिस्सा पी.एन.बी. शाखा राजगढ, ग्राम अहिर का तिबारा आराजी खसरा संख्या 157/3 रकबा 0.09 है0, 158/3 रकबा 0.09 है0, किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर व ग्राम भडकोल के आराजी खसरा संख्या 180/2 रकबा 0.34 है0, 186/1 रकबा 0.30 है0, 188/1 रकबा 0.12 है0, 189/1 रकबा 0.16 है0, 190/1 रकबा 0.07 है0, 191/1 रकबा 0.08 है0, 183/3 रकबा 0.16 है0 किता 7 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर के खातेदार रहेगें।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

03\. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मण हि0 1/5, रामकिशोर पुत्र लक्ष्मण हि0 1/5, रामजीलाल पुत्र लक्ष्मण हि0 1/5, रामेन्द्र पुत्र लक्ष्मण हि0 1/5 राहिनान एस.बी.आई. शाखा बालेटा, रामसिंह पुत्र लक्ष्मण हि0 1/5 राहीन पी.एन.बी. शाखा राजगढ जाति–अहिर (यादव) सा. देह खातेदार, ग्राम अहीर का तिबारा आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 0.03 है0, 159 रकबा 0.25 है0, 157/1 रकबा 0.03 है0, 158/1 रकबा 0.04 है0, 161/1 रकबा 0.09 है0 162 रकबा 0.09 है0, 163 रकबा 0.02 है0, 171 रकबा 0.30 है0, किता 8 कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर व ग्राम भडकोल आराज़ी खसरा नम्बर 181/1 रकबा 0.18 है0, 181 रकबा 0.35 है0, 182 रकबा 0.24 है0, 183/1 रकबा 0.35 है0, 184 रकबा 0.19 है0, 185 रकबा 0.38 है0, 187 रकबा 0.28 है0 किता 7 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर के खातेदार रहेगें।

बाद मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे पक्षकारान की खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 20.01.26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)